"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2017 — अग्रहायण 29, शक 1939

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-19/दो-गृह/रापुसे/2015. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 के खण्ड (च) में, शब्द "निरीक्षक-अनुसचिवीय (एम)" के पश्चात्, शब्द "निरीक्षक (कम्प्यूटर/सायबर क्राईम), निरीक्षक (आर्म्स)" अंत:स्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 18 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"19.	उप पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा, उप पुलिस अधीक्षक - जिला विशेष शाखा, उप पुलिस अधीक्षक - (एसआईबी), उप पुलिस अधीक्षक - (एटीएस),	14	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-विशेष शाखा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"19.	उप पुलिस अधीक्षक - विशेष प्रशिक्षण शाला	14	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-विशेष शाखा
20.	उप पुलिस अधीक्षक - आर्म्स,	1	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-आर्म्स
21	उप पुलिस अधीक्षक - कम्प्यूटर/सायबर क्राईम	2	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-कम्प्यूटर/ सायबर क्राईम"

3. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	उप पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा, उप पुलिस अधीक्षक - जिला विशेष शाखा, उप पुलिस अधीक्षक - (एसआईबी), उप पुलिस अधीक्षक - (एटीएस), उप पुलिस अधीक्षक - विशेष प्रशिक्षण शाला	14	50%	50%
10.	उप पुलिस अधीक्षक - आर्म्स	1	शून्य	100%
11.	उप पुलिस अधीक्षक - कम्प्यूटर/सायबर क्राईम	2	50%	50%

4. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	उप पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक - मुख्यालय, उप पुलिस अधीक्षक - प्रशिक्षण, उप पुलिस अधीक्षक - (पुलिस अकादमी), उप पुलिस अधीक्षक - (पीटीएस), उप पुलिस अधीक्षक - सुरक्षा, उप पुलिस अधीक्षक - लाईन, उप पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा, जिला विशेष शाखा, एसआईबी, एटीएस, विशेष प्रशिक्षण शाला, उप पुलिस अधीक्षक - कम्प्यूटर/सायबर क्राईम क्षेत्रीय अधीक्षक-विशेष शाखा और सहायक सेनानी	21	28	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा इसके समकक्ष उपाधि"	

5. अनुसूची-चार के भाग-अ में, सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	निरीक्षक-विशेष शाखा	उप पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा, उप पुलिस अधीक्षक - जिला विशेष शाखा, उप पुलिस अधीक्षक - (एसआईबी), उप पुलिस अधीक्षक - (एटीएस), उप पुलिस अधीक्षक - विशेष प्रशिक्षण शाला	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
10.	निरीक्षक-आर्म्स	उप पुलिस अधीक्षक - आर्म्स	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
11.	निरीक्षक-कम्प्यूटर/ सायबर क्राईम	उप पुलिस अधीक्षक - कम्प्यूटर/सायबर क्राईम	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार"

6. अनुसूची-छः के पार्ट-1 में, सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	14-उप पुलिस अधीक्षक - विशेष शाखा, उप पुलिस अधीक्षक - जिला विशेष शाखा, उप पुलिस अधीक्षक - (एसआईबी), उप पुलिस अधीक्षक - (एटीएस), उप पुलिस अधीक्षक - विशेष प्रशिक्षण शाला	कुल पदों का 50% = 7	कुल पदों का 50% = 7	निरीक्षक-विशेष शाखा
10.	01 उप पुलिस अधीक्षक - आर्म्स	-	कुल पदों का 100% = 1	निरीक्षक-आर्म्स
11.	02 उप पुलिस अधीक्षक - कम्प्यूटर/सायबर क्राईम	कुल पदों का 50% = 1	कुल पदों का 50% = 1	निरीक्षक-कम्प्यूटर/ सायबर क्राईम"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 2-19/दो-गृह/रापुसे/15.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-12- 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 20th December 2017

NOTIFICATON

No. F 2-19/2-Home/S. P. S./2015. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Police Executive (Gazetted) Services Recruitment and Promotion Rules, 2005, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In clause (f) of rule 2, after the words "Inspector Ministerial (M)", the words "Inspector (Computer/Cyber Crime), Inspector (Arms)" shall be inserted.

2. In Schedule-I, after serial number 18 and entries relating thereto, the followig shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"19.	Dy. Supdt. of Police-Special Branch, Dy. Supdt. of Police-Distt. Special Branch, Dy. Supdt. of Police-(SIB), Dy. Supdt. of Police-(ATS), Dy. Supdt. of Police-Special Training School	14	As above	As above	As above	Inspector-Special Branch
20.	Dy. Supdt. of Police-Arms,	1	As above	As above	As above	Inspector-Arms
21.	Dy. Supdt. of Police-Computer/Cyber Crime	2	As above	As above	As above	Inspector-Computer/ Cyber Crime"

3. In Schedule-II, after serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	Dy. Supdt. of Police-Special Branch, Dy. Supdt. of Police-Distt. Special Branch, Dy. Supdt. of Police-(SIB), Dy. Supdt. of Police-(ATS), Dy. Supdt. of Police-Special Training School	14	50%	50%
10.	Dy. Supdt. of Police-Arms,	1	zero	100%
11.	Dy. Supdt. of Police-Computer/Cyber Crime	2	50%	50%"

4. In Schedule-III, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Dy. Supdt. of Police, Dy. Supdt. of Police-Headquarter, Dy. Supdt. of Police-Training, Dy. Supdt. of Police-(Police Academy) Dy. Supdt. of Police-(PTS), Dy. Supdt. of Police-Security Dy. Supdt. of Police-Line Dy. Supdt. of Police-Special Branch, District Special Branch, SIB, ATS, Special Training School, Dy. Supdt. of Police-Computer/Cyber Crime Area Supdt. - Special Branch and Assistant Commandant	21	28	Bachelor Degree or its equivalent from any recognized University"	

5. In Part-A of Schedule-IV, after serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	Inspector -Special Branch	Dy. Supdt. of Police-Special Branch, Dy. Supdt. of Police-Distt. Special Branch, Dy. Supdt. of Police-(SIB), Dy. Supdt. of Police-(ATS), Dy. Supdt. of Police-Special Training School	6 Years	As mentioned above
10.	Inspector -Arms	Dy. Supdt. of Police-Arms,	6 Years	As mentioned above
11.	Inspector - Computer/Cyber Crime	Dy. Supdt. of Police-Computer/Cyber Crime	6 Years	As mentioned above"

6. In part I of Schedule-VI, after serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	14 - Dy. Supdt. of Police-Special Branch, Dy. Supdt. of Police-Distt. Special Branch, Dy. Supdt. of Police-(SIB), Dy. Supdt. of Police-(ATS), Dy. Supdt. of Police-Special Training School	50% of total posts = 7	50% of total posts = 7	Inspector - Special Branch
10.	01 Dy. Supdt. of Police-Arms	-	100% of total posts = 1	Inspector - Arms
11.	02 Dy. Supdt. of Police-Computer/Cyber Crime	50% of total posts = 1	50% of total posts = 1	Inspector - Computer/Cyber Crime"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. Mathur, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.